राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1281/2014/चित्तौडगढ

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट–प्रथम,वृत–चित्तौडगढ — अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स महालक्ष्मी एजेन्सी
चित्तौडगढ — प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित
श्री आर.के. अजमेरा
उप राजकीय अभिभाषक — अपीलार्थी की ओर से
प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपिस्थत नहीं है

निर्णय दिनांक 08.05.2017

निर्णय

यह अपील सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–प्रथम, वृत–चित्तौडगढ (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) की ओर से अतिरिक्त आयुक्त, अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, उदयपुर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 31/वैट/13–14/चित्तौडगढ में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे वैट अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 82 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 23.01.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी के वर्ष 2010–11 कर निर्धारण दिनांक 12.02.2013 को एकपक्षीय किया गया था, जिससे असन्तुष्ट होकर प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से अधिनियम की धारा 34 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र उपायुक्त(प्रशासन) भीलवाडा के समक्ष प्रस्तुत करने पर, उन्होंने दिनांक 02.05.2013 को निस्तारण करते हुए कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 12.03.2013 को निरस्त करते पुनः आदेश पारित करने हेतु प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया है, जिसमें यह निर्देश दिये गये हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी दिनांक 24.05.2013 को समस्त रिकार्ड के कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष उपस्थित होवें। प्रत्यर्थी व्यवहारी उक्त निर्धारित तिथि को कर निर्धारण के समक्ष उपस्थित हुआ था। तिमाही एवं वार्षिक विवरण देरी से प्रस्तुत करने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 65 के अन्तर्गतर शास्ति रू. 1,61,500/–आरोपित की गई। उक्त आरोपित शास्ति के विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर उन्होनें प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर नियमानुसर आदेश पारित करने के निर्देशों के साथ प्रत्यर्थी व्यवहारी को दिनांक 24.03.2014 को कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने के निर्देश दिये हैं। उक्त प्रतिप्रेषित आदेश

प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से बावजूद तारीख पेशी की सूचना कोई भी उपस्थित नहीं है इसलिए विभागीय प्रतिनिधि की बहस सुनी जाकर एकपक्षीय निर्णय पारित किया जा रहा है ।

अपीलार्थी विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों की अनदेखी करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश को अपास्त किया है, जो न्यायिक दृष्टि से उचित नहीं है। उनका कथन है कि उपायुक्त (प्रशासन) द्वारा निर्धारित की गई तारीख पेशी पर प्रत्यर्थी व्यवहारी कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष उपस्थित हुआ था और उसी दिन तिमाही एवं वार्षिक बिक्री विवरण विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण शास्ति आरोपित करने से सुनवाई तिथि से अवगत करवा दिया गया था तथा साथ ही उसे नोटिस भी जारी किया गया था, किन्तु वह जानबूझकर सुनवाई हेतु निश्चित तारीख पेशी पर उपस्थित नहीं हुआ है। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण को अनुचित रूप से कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपील स्वीकार कर अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.01.2014 का अपास्त करने का निवेदन किया।

विभागीय प्रतिनिधि की बहस सुनी गयी, उपलब्ध रिकार्ड एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.01.2014 का अवलोकन किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 65 के अन्तर्गत शास्ति रू. 1,61,500/–की आरोपित की है,जिसको उचित नहीं मानते हुए अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये गये है कि सुनवाई का समुचित अवसर प्रदार करने के उपरान्त नियमानसार कार्यवाही करें साथ ही प्रत्यर्थी व्यवहारी को दिनांक 24.03.2014 को कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने के निर्देश दिये हैं।

उपलब्ध रिकार्ड के अवलोकन ज्ञात होता है कि कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 65 के अन्तर्गत शास्ति आरोपित करने से पूर्व दिनांक 31.03.2013 के लिए दिनांक 11.01.2013 को नोटिस जारी किया है किन्तु उसकी तामील का कोई साक्ष्य अथवा प्रमाण पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए अपीलीय अधिकारी ने अधिनियम की धारा 65 एवं नियम 48 के प्रावधानों को को अपीलाधीन आदेश में उद्धरित करते हुए प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के पश्चात नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देश दियें हैं, जिसमें कोई त्रुटि नजर नहीं आती है। नैसर्गिक न्याय का सिद्धान्त

है कि किसी को भी दण्डित करने से पूर्व उसे सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना चाहिए, यही अधिनियम की धारा 65 एवं नियम 48 में प्रावधान किया गया है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त प्रावधानों का सही रूप से निर्वचन करते हुए प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया है,जिसमें किसी प्रकार के त्रुटि अथवा अविधिकता नजर नहीं आती है इसलिए उसमें हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं है। अतः अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि करते हुए विभाग की ओर से प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया ।

(श्री मदन लाल मालवीय)
सदस्य